(५)

न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

अतिक्रमण अपील 01 आर 15/07–08

मो0 मसीउददीन अंसारी — अपीलकर्ता

बनाम

अंचल अधिकारी, ओरमॉझी — प्रतिवादी

आदेश

18/
25.06.2008

यह अपील अतिक्रमण वाद संख्या 01/07–08 में अंचल पदाधिकारी ओरमॉझी द्वारा दिनांक 8.10.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन से अपीलकर्ता को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
कुटे	85	1094	44 डिसमिल

अपील आवेदन में कहा गया है कि प्रश्नगत जमीन गैरमजरुआ है जिसका उपयोग वे विगत 50–60 सालों से करते आ रहे हैं। इस जमीन पर अपीलकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों का मकान, चहारदीवारी एवं बगीचा है। विवादित भूमि का उपयोग रास्ते के रुप में नहीं होता है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता ने यह भी आवेदन दिया था कि अगर विवादित जमीन पर उनका अतिक्रमण पाया भी जाता है तो इसे उनके नाम से बंदोबस्त कर दिया जाय। परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा बिना गवाही एवं साक्ष्य लिए ही अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया।

उभय पक्ष का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों को ही प्रस्तुत किया एवं बताया कि जमीन की मापी अपीलकर्ता के समक्ष हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा खेसरा संख्या 1085 खरीदी गयी है। खाता संख्या 85 रैयती जमीन है। विवादित खेसरा संख्या 1094 खाता

संख्या 80 के अंतर्गत है जिसका रकबा मात्र 40 डिसमिल है। विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि वर्तमान में विवादित जमीन पर कोई रास्ता नहीं है।

प्रतिवादी की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता ने बहस किया एवं बताया कि खेसरा संख्या 1094 रकबा 40 डिसमिल गैरमजरुआ आम रास्ता है जिसे अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। ग्रामवासियों के आवेदन के आधार पर अंचल पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण वाद प्रारम्भ किया गय। हल्का कर्मचारी ने दिनांक 7.2.2007 को प्रतिवेदन दिया। तत्पश्चात अंचल अमीन से मापी करायी गयी जिसने दिनांक 23.3.2008 को नक्शा सहित प्रतिवेदन दिया कि विवादित जमीन पर अपीलकर्ता का अतिक्रमण है।

वर्तमान मामले में निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण वाद कुल पॉच व्यक्तियों के विरुद्ध 44 डिसमिल जमीन के लिये प्रारम्भ किया गया था। अंचल अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन एवं नक्शा समर्पित किया गया था जो निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न है।

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन एवं नक्शे में यह नहीं दर्शाया गया है कि किस व्यक्ति द्वारा कितने रकबे में अतिक्रमण किया गया है।

अतः इस वाद को अंचल अधिकारी ओरमॉझी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि पुनः सभी पक्षों के समक्ष खेसरा संख्या 1094 की मापी करायी जाय कि किस व्यक्ति द्वारा कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पाये गये अतिक्रमण के अनुरुप धारा 6 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए कार्रवाई की जाय।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में पुनः वर्तमान न्यायालय में अपील की सुनवाई नहीं होगी।

दिनांकः– 25.06.2008

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
रॉची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2022.08.13 13:26:12 +05:30
Location: 192.168.0.15